भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *183
दिनांक 05 अगस्त, 2026 / 14 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

देश से वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन

***183# श्री शिवेश कुमारः**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश से वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) क्या इन प्रयासों में कोई सफलता प्राप्त हुई है;
(ग) क्या सरकार के पास आत्मसमर्पण कर चुके वामपंथी उग्रवादी काडरों के पुनर्वास की कोई योजना है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *183 दिनांक 05.08.2026

“देश से वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन” के सम्बन्ध में दिनांक 05.08.2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *183 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ख):

(i) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों के अधीन हैं। परन्तु, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में निरंतर सहायता देती आ रही है। वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में “वामपंथी उग्रवाद से निपटने हेतु राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना” अनुमोदित की गई थी, जिसमें 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास संबंधी पहलें (इंटरवेशन), स्थानीय समुदायों के अधिकारों तथा हकदारियों को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। इस नीति के दृढ़तापूर्वक कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ही देश से वामपंथी उग्रवाद का समग्र उन्मूलन सम्भव हो पाया है।

(ii) सुरक्षा सम्बन्धी उपायों में, भारत सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियनें प्रदान करके और भारतीय रिजर्व बटालियनों का गठन करके, हेलीकॉप्टर सहायता, शिविर संबंधी अवसंरचना को मजबूत करके, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु निधियों, उपकरणों तथा हथियारों, आसूचना के आदान-प्रदान, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों (FPSs) के निर्माण आदि का प्रावधान करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य सरकारों की सहायता करती है।

- वर्ष 2014-15 से अब तक राज्यों के क्षमता निर्माण के लिए, सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को 3805.04 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, ताकि बलों के परिचालन और प्रशिक्षण आवश्यकताओं संबंधी व्यय, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के पुनर्वास, वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा के कारण मारे गए नागरिकों/वीरगति को प्राप्त हुए सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि आदि प्रदान की जा सके।

- अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करने और उनके आधुनिकीकरण के लिए राज्यों के प्रयासों को "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" की योजना के तहत प्रोत्साहन दिया गया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को हथियारों, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए उपकरणों, संचार, प्रशिक्षण, पुलिस स्टेशनों के निर्माण, गतिशीलता और पुलिस आवास तथा अन्य पुलिस संबंधी अवसंरचना के

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *183 दिनांक 05.08.2026

निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की उपयोजना विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस) के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को राज्य के विशेष बलों, विशेष आसूचना शाखाओं (एसआईबी), जिला पुलिस को मजबूत करने और फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों (FPSs) के निर्माण के लिए 1761 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार का सुरक्षा अवसंरचना पर विशेष ध्यान रहा है। अब तक 663 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन (FPSs) स्थापित किए गए हैं।

- वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता (ACLWEMS) योजना के अंतर्गत शिविरों की बुनियादी संरचना और वामपंथी उग्रवाद से निपटने संबंधी ऑपरेशनों के लिए हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2014-15 से अब तक इस योजना के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों को 1303.68 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

- वामपंथी उग्रवाद के वित्तीय प्रवाह के अवरोधन और सीपीआई (माओवादी) तथा उसके वित्तीय समर्थकों के अंतर्सम्बंधों का खुलासा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य पुलिस द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से विभिन्न माध्यमों से समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप पूर्व में वामपंथी उग्रवादियों को मिलने वाले धन और अन्य संसाधनों के प्रवाह को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है।

(iii) विकास के मामले में, भारत सरकार की प्रमुख (फ्लैगशिप) योजनाओं के अलावा, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में कई विशिष्ट पहलें की गई हैं, जिसमें सड़क नेटवर्क के विस्तार, दूरसंचार संपर्क में सुधार, शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर विशेष बल दिया गया है, जिनमें से कुछ पहल निम्नानुसार हैं:

- वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए, 02 विशिष्ट योजनाओं - सड़क आवश्यकता योजना (RRP) तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी योजना (RCPLWEA) के अंतर्गत 15,194 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित रहे क्षेत्रों में 127.08 किलोमीटर महत्वपूर्ण सड़कों और 6 महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा किया जा रहा है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *183 दिनांक 05.08.2026

- पूर्व में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित रहे क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 9,561 टावर लगाए गए हैं।
- कौशल विकास के लिए, 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 49 कौशल विकास केन्द्र (SDC) खोले गए हैं।
- जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 179 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) को कार्यशील किया गया है।
- वित्तीय समावेशन के लिए डाक विभाग ने वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो चुके क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के साथ 6,025 डाकघर खोले हैं। इन क्षेत्रों में 1,804 बैंक शाखाएं और 1,321 एटीएम खोले गए हैं।
- विकास को और गति देने के लिए, विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) योजना के तहत, पूर्व में वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित रहे जिलों में सार्वजनिक अवसंरचना में कमी को दूर करने के लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2017 में योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 4,289.20 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
- स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए, लाभार्थियों को 21,26,273 स्वामित्व विलेख (टाइटल डीड) (20,20,273 व्यक्तिगत टाइटल और 1,06,000 सामुदायिक टाइटल) वितरित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्व-शासन को और मजबूत करने के लिए, गृह मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर कार्ययोजना पर कार्य कर रहा है। ये उपाय वामपंथी उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों में सामुदायिक अधिकारों को मजबूत करने और सहभागी शासन को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

(iv) गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के सात वामपंथी उग्रवाद प्रभावित रहे जिलों में विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों की पहुंच और आजीविका सृजन की संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण कराया है। इस सर्वेक्षण में शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य संकेतक और प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र और माध्यमिक स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता का विवरण संकलित किया गया है। इससे केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार को विकास संबंधी कमियों को दूर करने और आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिल रही है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *183 दिनांक 05.08.2026

(v) युवाओं और स्थानीय समुदायों को रचनात्मक रूप से जोड़ने के लिए, भारत सरकार जनजातीय युवा विनिमय कार्यक्रम (TYEP) लागू करती है, जिसके तहत पूर्व में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों से जनजातीय युवाओं को देश के विभिन्न हिस्सों में एक सप्ताह के लिए शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक यात्रा पर ले जाया जाता है। यह कार्यक्रम उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों के लोगों के साथ संवाद करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ती है और देश की औद्योगिक और विकासात्मक प्रगति से परिचित होने का अवसर मिलता है। वर्ष 2014 से अब तक कुल 37,655 जनजातीय युवा TYEP में भाग ले चुके हैं।

(vi) इसके अलावा, सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत, भारत सरकार केन्द्रीय सशस्त्र बलों (सीएपीएफ) को उनके परिचालन क्षेत्रों में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराती है, जिनमें चिकित्सा शिविर, खेल प्रतियोगिताएं और स्थानीय समुदायों के बीच आवश्यक वस्तुओं का वितरण शामिल है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 से अब तक ₹221.88 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। इससे सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच आपसी संपर्क को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

(vii) उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है, जिसे कभी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक माना जाता था। यह उपलब्धि "वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना-2015" को दृढ़ता से लागू करने तथा केंद्र व राज्य सरकारों के आपसी सहयोग से संभव हुई है। वर्तमान में, कोई भी जिला वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले की श्रेणी में नहीं है। अभी, 38 जिलों को 'लीगेसी एंड थ्रस्ट' जिलों की श्रेणी में रखा गया है; जो अब वामपंथी उग्रवाद प्रभावित नहीं हैं, लेकिन इनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षा तथा विकास के उपायों को वहां कुछ और समय तक जारी रखने की आवश्यकता है। यद्यपि ये जिले अब वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हैं, फिर भी कुछ और समय तक सुरक्षा निगरानी और विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा, ताकि वहां वामपंथी उग्रवाद के पुन: पनपने की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके।

(ग) से (घ) :

(i) वामपंथी उग्रवादियों को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने व्यापक आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीतियां तैयार की हैं। भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के भाग के रूप में आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के माध्यम से इस प्रयास में राज्यों की सहायता करती है। भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *183 दिनांक 05.08.2026

आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है। पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ उच्च रैंक वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 5 लाख रुपये और अन्य वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए 2.5 लाख रुपये का तत्काल अनुदान शामिल है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत हथियारों/गोला-बारूद के समर्पण के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। तीन साल के लिए 10,000 रुपये के मासिक वृत्ति के साथ अपनी रुचि के व्यवसाय या व्यवसायिक कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करने का भी प्रावधान है।

(ii) वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन के पश्चात के परिदृश्य में, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की संतृप्ति, स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने, आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों के पुनर्वास, आदिवासी पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने तथा दूर-दराज के इलाकों में शासन और सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

(iii) इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के उन्मूलन के पश्चात, एलडब्ल्यूई मुक्त क्षेत्रों में एक-तिहाई सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। ये केंद्र स्थानीय समुदायों को आजीविका संवर्धन, कौशल विकास, सरकारी योजनाओं तक पहुंच, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल और सांस्कृतिक तथा खेल जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगे। पहला जन सुविधा केंद्र शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र के रूप में नेतनार, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है।

(iv) समग्रत: भारत सरकार पूर्व में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रहे जिलों में सुरक्षा और तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
